



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237957
CG-DL-E-05082022-237957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]
No. 543]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 617(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के कतिपय नियमों के प्रारूप का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.127(अ), तारीख 15 फरवरी, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त प्रारूप के संबंध में जन साधारण से प्राप्त आक्षेपों व सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) और खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 129 के उपनियम (1) के खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) नए माडल मामले में, एन2 और एन3 प्रवर्ग के प्रत्येक यान, जो 1 सितंबर, 2022 को या उसके पश्चात् विनिर्मित किए गए हैं, और 1 जनवरी, 2023 को विद्यमान माडल के मामले में, खतरनाक या परिसंकटमय सामान को ले जाने में एआईएस 140 के अनुसार यान खोज प्रणाली युक्ति लगाई जाएगी।”

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, पद,-

- (क) “विद्यमान माडल” से प्रवर्ग एन2 या प्रवर्ग एन3 के यान से बाबत मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने पर या उससे पूर्व अधिनियम, की धारा 110ख के अधीन जारी टाइप-अनुमोदन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ख) “नया मॉडल” से प्रवर्ग एन2 या प्रवर्ग एन3 के यान के बाबत मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने के पश्चात् अधिनियम, की धारा 110ख के अधीन जारी टाइप-अनुमोदन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।”

[फा. सं. आरटी-11036/19/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 479(अ), तारीख 28 जून, 2022 को किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

G.S.R. 617(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 127(E), dated the 15th February, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15th February, 2022;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (k) and (l) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (1) of rule 129, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(v) every vehicle of categories N2 and N3, manufactured on and after the 1st Day of September, 2022, in the case of new models, and 1st day of January, 2023, in the case of existing models, carrying dangerous or hazardous goods, shall be fitted with a vehicle tracking system device as per AIS 140.”

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression,-

- (a) “existing model” in respect of a vehicle of category N2 or category N3, means the vehicle in respect of which a type-approval certificate has been issued under section 110B of the Act, on or before the commencement of the Motor Vehicles (Eleventh Amendment) rules, 2022;
- (b) “new model” in respect of a vehicle of category N2 or category N3, means the vehicle in respect of which a type-approval certificate has been issued under section 110B of the Act, after the commencement of the Motor Vehicles (Eleventh Amendment) rules, 2022.”.

[F. No. RT-11036/19/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 479(E), dated the 28th June, 2022.